

## अध्याय 1

### संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था 2011-2012 का विहंगावलोकन

#### 1.1 प्रस्तावना

संसद में संघ सरकार के वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए गए, जिसमें वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे सम्मिलित हैं। वित्त लेखे प्राप्तियों की विवरणी तथा समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे से भुगतानों को दर्शाते हैं जबकि विनियोग लेखे बजट प्रावधानों, व्यय तथा प्रत्येक अनुदान /विनियोग के अन्तर्गत परिणामतः आधिक्य/बचत को दर्शाते हैं।

#### बॉक्स 1.1: संघ सरकार की निधियां और लोक लेखे

समेकित निधि	आकस्मिकता निधि
संघ सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, राजकोषीय बिलों के निर्गम द्वारा उठाए गए समस्त ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान के प में सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत स्थापित की गई “भारत की समेकित निधि” शीर्षक एक समेकित निधि बनाएंगे।	संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अंतर्गत स्थापित भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखे गए एक अग्रदाय के रूप में हैं जो उन्हें, संसद के लंबित प्राधिकार के रहते अतिआवश्यक अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम प्रदान करने का अधिकार देता है। ऐसे व्यय और समेकित निधि से इसके बराबर राशि के आहरण के लिए वैधानिक अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है तत्पश्चात आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिमों की निधि से प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।
<h4 style="text-align: center;">लोक लेखा</h4> <p>समेकित निधि से संबंधित सरकार की सामान्य प्राप्तियों तथा व्ययों के अतिरिक्त सरकारी लेखाओं में कुछ ऐसे लेन-देन भी सम्मिलित होते हैं जिनके संबंध में सरकार अधिकतर बैंकर के रूप में कार्य करती है। भविष्य निधियों, लघु बचतों, अन्य जमाओं आदि से संबंधित लेन-देन इसके कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार, प्राप्त लोक धन को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखा जाता है तथा सम्बद्ध संवितरण उसमें से भी किए जाते हैं।</p>	

**1.1.1** वर्ष 2011-12 की विशेषता आर्थिक विकास में ह्रास था जैसा कि पिछले वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.)<sup>1</sup> द्वारा वृद्धि 6.9 प्रतिशत मापी गई थी। वर्ष के दौरान मुख्य आर्थिक चिन्ताओं में औद्योगिक विकास में कमी, उच्च मुद्रास्फिति (खाद्योत्तर विनिर्माण वस्तुओं के कारण) तथा प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक वातावरण शामिल हैं।

इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध, यह अध्याय वित्त लेखे में लिए गए आंकड़ों पर आधारित संघ सरकार के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषणात्मक विहंगावलोकन प्रदत्त करता है। **तालिका 1.1** वर्ष 2011-12 के लिए संघ सरकार की प्राप्तियों संवितरणों तथा उधारों की स्थिति का सारांश प्रस्तुत करती है।

<sup>1</sup> 31 मई 2012 को सी.एस.ओ. द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, 2004-05 के मूल्यों पर बाजारी मूल्यों पर स.घ.उ. के संशोधित अनुमान पिछले वर्ष से 6.9 प्रतिशत तक बढ़े जबकि वर्तमान मूल्यों पर यह 15.4 प्रतिशत तक बढ़े। स.घ.उ. के संशोधित अनुमानों को पिछले वर्ष के प्रतिवेदनों के साथ तुलना के उद्देश्य से अपनाया गया।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

तालिका 1.1: चालू वर्ष के प्रचालन का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	व्युत्पन्न मापदण्ड	संवितरण
<b>भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.)</b>		
राजस्व प्राप्तियां	910277 (932686)	राजस्व घाटा <b>394918</b> (253429)
राजस्व व्यय		1305195 (1186115)
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	18088 (22846)	पूंजीगत व्यय
		139465 (140671)
कर्जों की वसूली	36818 (29253)	ऋण तथा अग्रिम
		38404 (40641)
कुल गैर-ऋण प्राप्तियां	965183 (984785)	राजकोषीय घाटा <b>517603</b> (382642)
वास्तविक व्यय		1483064 (1367427)
लोक ऋण	4063177 (3177106)	लोक ऋण
		3495929 (2814774)
भा.स.नि.में कुल प्राप्तियां	5028360 (4161891)	भा.स.नि. में अधिशेष <b>49367</b> (घाटा 20310)
भा.स.नि. में कुल व्यय		4978993 (4182201)
<b>आकस्मिकता निधि</b>		
प्राप्तियां	0	विनियोग
		0
<b>लोक लेखा</b>		
लघु बचतें	372828 (403485)	लघु बचतें
		358502 (409615)
आरक्षित एवं निक्षेप निधि	108076 (120833)	आरक्षित एवं निक्षेप निधि
		102402 (119886)
जमा	92993 (105341)	जमा
		93552 (96979)
अग्रिम	35290 (52360)	अग्रिम
		40209 (49290)
उचन्त लेखे	4894 (18762)	उचन्त लेखे
		56477 (14209)
प्रेक्षण	6586 (6141)	प्रेक्षण
		2901 (5800)
कुल लोक लेखे	620667 (706922)	लोक लेखे में घाटा <b>33376</b> (अधिशेष 11143)
कुल लोक लेखे		654043 (695779)
अथ नकद	1449 (10616)	नकद में कमी <b>15991</b> (घाटा 9167)
अन्तः नकद		17440 (1449)
लोक लेखा घाटा (मांग)		33376
		(भा.स.नि.) में अधिशेष-रोकड़ में वृद्धि
वार्षिक देयताएं (आपूर्ति)		586689
		(ऋण+लघुबचत+आ.नि.+जमा) का अधिशेष
वार्षिक देयताएं (मांग)		586689
		राजकोषीय घाटा (-) रोकड़ में वृद्धि (+) (अग्रिम+उचन्त+प्रेषण) का निवल संवितरण

\*राज्य को सौंपे गये कर्ष एवं शुल्कों के आंकड़ों को शामिल नहीं करता (2011-12 के लिए ₹ 2,55,414 करोड़)

नोट: (1) कोष्ठक में आंकड़े वर्ष 2010-11 के लिए अनुरूप आंकड़ों को दर्शाते हैं।

(2) 2011-12 के लिए राजस्व प्राप्ति एवं राजस्व व्यय को, करों की वापसी पर ब्याज पर किये गये व्यय को व्यय की बजाय "कम किया राजस्व" के रूप में दर्शाने के कारण ₹6,494 करोड़ से कम बताया गया है। विवरण के लिए कृपया पैरा 4.2 एवं 4.3 का संदर्भ लें।

जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा गया, भारतीय समेकित निधि (भा.स.नि.) में, पिछले वर्ष में घाटे की तुलना में अधिशेष था। गैर-ऋण प्राप्तियों में 1.99 प्रतिशत के गिरावट तथा सरकार के वास्तविक व्यय में ₹ 1,15,637 करोड़ (8.46 प्रतिशत) की वृद्धि के बावजूद अधिशेष प्राप्त किया गया था। अधिशेष के मुख्य योगदानकर्ता सरकार की लोक ऋण प्राप्ति में ₹ 8,86,071 करोड़ (27.89 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण वृद्धि और पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को शामिल करते हुए) में ₹ 3,443 करोड़ की कमी थी। इस अध्याय के अनुवर्ती पैराग्राफों में इन लेन-देनों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। आकस्मिकता निधि में कोई परिवर्तन नहीं था। लोक लेखे के मामले में, जहाँ सरकार लोक जमाओं हेतु एक बैंकर के रूप में कार्य करती है, पिछले वर्ष के अधिशेषों की तुलना में इस वर्ष घाटा हुआ था।

### 1.1.2 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की तुलना में मुख्य वित्तीय पैरामीटरों पर वर्तमान वर्ष में निष्पादन

सकल घरेलू उत्पाद (स.उ.घ.) की प्रतिशतता के रूप में संघ सरकार हेतु मुख्य राजकोषीय सकल तथा तेरहवें वित्त आयोग (13वें वि.आ.) की रिपोर्ट द्वारा तैयार रूपरेखा को नीचे तालिका बद्ध किया गया है:

तालिका 1.2 केन्द्र हेतु राजकोषीय समेकन मार्ग का सारांश (तेरहवां वित्त आयोग)

(स.घ.उ. की प्रतिशतता)

पैरामीटर	2010-11	2014-15	वित्तीय लेखे 2010-11 के अनुसार वास्तविक निष्पादन	
			2010-11	2011-12
राजस्व घाटा	2.3	-0.5	3.30	4.46
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	0.6	1.0	0.68	0.62
पूंजीगत व्यय	3.1	4.5	2.36	2.01 <sup>2</sup>
राजकोषीय घाटा	4.8	3.0	4.99	5.85
ऋण (वर्ष के अंत की समायोजन देयताएं)	52.5	44.8	46.03	46.88

जैसाकि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के अलावा वित्तीय मापदंडों में से अन्य कोई 13वें वि.आ. द्वारा 2011-12 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के समीप नहीं था। वस्तुतः वर्ष 2011-12 का राजस्व घाटा 13वें वि.आ. द्वारा रूपांकित लक्ष्य से दुगुने के करीब है। दिलचस्प रूप से, जब हम पिछले वर्ष से वित्तीय मापदंडों की तुलना करते हैं, पूंजीगत व्यय को छोड़कर अन्य सभी ने सुधार के स्थान पर अपकर्ष दिखाया।

<sup>2</sup> तुलनात्मक उद्देश्यों हेतु, तालिका में दिया गया वास्तविक व्यय बारहवें वित्त आयोग द्वारा तय किए गए आधार के अनुरूप है।

## 1.2 संसाधन का सृजन

राजस्व की स्थिति (लोक लेखे में राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजीगत प्राप्तियाँ तथा सकल प्रोद्भूत) का विश्लेषण निम्नलिखित को दर्शाता है:

### 1.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ

वर्ष को सकल राजस्व प्राप्तियों में 1.19 प्रतिशत के समान वृद्धि (2010-11 में 32.51 प्रतिशत की अत्यधिक वृद्धि की तुलना में) द्वारा बताया गया है। सकल ऋण प्राप्तियों में 27.89 प्रतिशत वृद्धि के कारण कुल प्राप्तियों में सकल राजस्व प्राप्तियों का अंश पिछले वर्ष में 22.64 प्रतिशत से वर्तमान वर्ष में 19.74 प्रतिशत तक बढ़ा जो बजट को संतुलित करने हेतु ऋणों पर निर्भरता में अधिकता को दर्शाता है।

तालिका 1.3: स.घ.उ. में प्राप्तियों का अंश

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल राजस्व प्राप्तियाँ* (1)	गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (2)	सकल ऋण प्राप्तियाँ (3)	लोक लेखे में सकल उपाजर्जन (4)	सकल प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	निवल ऋण प्राप्तियाँ @ (5)	खजाना बिलों से निवल प्राप्तियाँ (6)	निवल लोक लेखे उपाजर्जन (7)	निवल प्राप्तियाँ (1+2+5+6+7)	सकल प्राप्तियाँ /स.घ.उ. @@ (8)	निवल प्राप्तियाँ /स.घ.उ. @@ (9)
2007-08	801226	49187	1868102	460981	3179496	633418	29154	35721	1548706	64	31
2008-09	814026	14075	2395765	584478	3808344	671488	30033	68862	1598484	68	29
2009-10	869355	37314	3405327	660401	4972397	882979	(-)2995	28268	1814921	77	28
2010-11	1151989	52099	3177106	706922	5088116	855104	7432	11143	2077767	66	27
2011-12	1165970	54905	4063177	620667	5904719	1276101	(-)5300	(-)33655	2458021	67	28

\*राज्यों को सौंपे गए करों तथा शुल्कों के आंकड़े सम्मिलित हैं 2011-12 के लिए, (₹2,55,414 करोड़)। इस घटक का अपवर्जन ₹9,10,277 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्ति देता है जैसा तालिका 1.1 में दिखाया गया है।


@ यह सकल ऋण प्राप्तियाँ 14 दिनों के खजाना बिलों तथा भा.रि.बैं. से प्राप्त अर्थोपाय पेशगियों से प्राप्तियों का निवल है।

@@केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (के.सां.सं.), सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन ब्यूरो मंत्रालय प्रेस नोट दिनांक 31 मई 2012 ने दर्शाया है कि वर्ष 2011-12 हेतु वर्तमान मूल्यों/बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के संशोधित अनुमानित आंकड़े ₹88,55,797 करोड़ हैं। वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 तथा 2010-11 की सम्बन्धित राशियाँ क्रमशः ₹49,47,857 करोड़, ₹55,82,623 करोड़ तथा ₹64,57,352 करोड़ तथा ₹76,74,148 करोड़ है। आंकड़ों का के.सां.सं. द्वारा लगातार संशोधन किया जा रहा है तथा यह डाटा वृहत अर्थव्यवस्था निष्पादन के साथ राजकोषीय निष्पादन की एक संकेतिक तुलना हेतु है।

### 1.2.2 मुख्य राजस्व संबंधित पैरामीटरों के बजट अनुमानों तथा वित्त लेखे के बीच अंतराल

वास्तविक बजटीय अनुमानों का सूत्रीकरण व्यय नियंत्रण तथा रोकड़ एवं ऋण प्रबन्धन हेतु महत्वपूर्ण है। चार्ट 1.1 दर्शाता है कि सेवा कर के अलावा सभी कर बजट प्रक्षेपणों से कम थे। सेवा कर एवं आय व लाभांश दोनों के अंतर्गत प्राप्तियाँ बजट अनुमानों से 19 प्रतिशत तक अधिक थीं। ब्याज प्राप्तियाँ भी बजट अनुमानों से 34 प्रतिशत अधिक थीं। आयकर एवं सीमा शुल्क से संबंधित प्राप्तियों के मामले, वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमानों के काफी करीब थीं।

चार्ट 1.1: बजट अनुमानों से सकल वास्तविक प्राप्तियों का विचलन



### 1.2.3 कर राजस्व

तालिका 1.4: कर राजस्व के घटक (सकल)

(करोड़ ₹ में)

अवधि	कुल सकल कर राजस्व #	निगम कर	आय कर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य *	स.घ.उ.
X वीं योजना (2002-07) औसत	323047	87602	51720	60497	100210	17373	5645	3317483
XI वीं योजना (2007-12)	701080	254507	126956	114493	123563	67838	13723	6703555
2007-08	593147	192911	102659	104119	123611	51302	18545	4947857
2008-09	605298	213395	106075	99879	108613	60941	16395	5582623
2009-10	624528	244725	122417	83324	102991	58422	12649	6457352
2010-11	793308	298688	139102	135813	137701	71016	10988	7674148
2011-12	889118	322816	164525	149328	144901	97509	10039	8855797
वृद्धि की औसतन वार्षिक दर (प्रतिशत)								
X वीं योजना (2002-07)	21.31	31.59	18.83	17.36	9.60	73.21	68.93	14.18
XI वीं योजना (2007-12)	11.41	14.64	12.91	10.83	5.71	15.46	(-15.02)	15.98
2007-08	25.27	33.67	36.71	20.61	5.10	36.45	47.62	15.50
2008-09	2.05	10.62	3.33	(-4.07)	(-12.13)	18.79	(-11.59)	12.83
2009-10	3.18	14.68	15.41	(-16.58)	(-5.18)	(-4.13)	(-22.85)	15.67
2010-11	27.03	22.05	13.63	62.99	33.70	21.56	(-13.13)	18.84
2011-12	12.08	8.08	18.28	9.95	5.23	37.31	(-) 8.64	15.40


# राज्यों/सं.शा.क्षे. को दिए गए करों/शुल्कों के आंकड़े शामिल हैं।

\*अन्य करों में होटल प्राप्ति कर, ब्याज कर, सम्पत्ति कर, उपहार कर, फ्रीज लाभ कर, प्रतिभूति लेन-देन कर, बैंकिंग रोकड़ लेन-देन कर आदि शामिल हैं।

जैसा कि तालिका 1.4 से देखा जा सकता है जबकि चालू वर्ष में समग्र कर राजस्व 12.08 प्रतिशत तक बढ़ा, फिर भी सेवा कर में सार्थक वृद्धि थी जो 37.31 प्रतिशत तक बढ़ा था। सकल

करों की वृद्धि चालू वर्ष के स.घ.उ. से कम थी, जो पिछले वर्ष के प्रवृत्ति में उत्क्रमण का संकेत करती है। यदि हम करों के वृद्धि की दर को संपूर्ण दसवीं और ग्यारहवीं योजना अवधि में स.घ.उ. से तुलना करें तो हम देखते हैं कि ग्यारहवीं योजना में कर वृद्धि की दर स.घ.उ. की वृद्धि दर से कम रही है। यह सेवा कर, निगम कर एवं आयकर के संकलन के वृद्धि दर में महत्वपूर्ण गिरावट के कारण हुआ था।

चार्ट 1.2: कर राजस्व के घटक



दसवीं योजना तथा ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कर राजस्व के सापेक्ष अंश की तुलना जैसा कि उक्त चार्ट 1.2 में दिया गया है, निगम कर (नौ प्रतिशत) तथा सेवा कर (पांच प्रतिशत तक) के सापेक्ष अंश के महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाती है तथा दूसरी तरफ उत्पाद शुल्क के अंश में कमी थी (13 प्रतिशत तक)।

#### 1.2.4 गैर-कर राजस्व

तालिका 1.5 दर्शाती है कि वर्ष 2011-12 के दौरान गैर-कर राजस्व (57 प्रतिशत) का सबसे बड़ा अंश विभिन्न विभागों द्वारा उद्ग्रहित उपभोक्ता प्रभारों से आता है जो आम जनता को आर्थिक सेवाएं प्रदान करते हैं। ब्याज प्राप्तियों ने गैर-कर राजस्व का 15 प्रतिशत संघटित किया जबकि लाभांश तथा लाभ लगभग 18 प्रतिशत तक दर्ज किए गए थे। चालू वर्ष के दौरान गैर-कर राजस्व में महत्वपूर्ण नकारात्मक वृद्धि (22.89 प्रतिशत) थी। यह मुख्यतः आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियों में भारी कमी (36.24 प्रतिशत) बेतार और नियोजन समन्वयन संगठन की प्राप्तियों में 2010-11 में ₹ 1,09,698 करोड़ से 2011-12 में ₹ 5,183 करोड़ की कमी के कारण थी।

जब हम दसवीं योजना (2002-07) और ग्यारहवीं योजना (2007-12) में गैर-कर राजस्व के घटक के सापेक्ष हिस्सों की तुलना करते हैं, हम देखते हैं कि आर्थिक सेवाओं के हिस्सों में 50 से लेकर 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि ब्याज प्राप्तियों में 24 से लेकर 14 प्रतिशत की संगत गिरावट आयी है। लाभांशों और लाभों के हिस्से दोनों योजना अवधियों में स्थिर रहे।

तालिका 1.5: गैर-कर राजस्व - उप-संघटकों तथा प्रवृत्तियों की सापेक्ष संरचना

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल गैरकर राजस्व #	ब्याज प्राप्ति	लाभ एवं लाभांश	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	प्रधान तथा अन्य कार्य **
<b>Xवी योजना (2002-07)</b>						
औसत	154419	37023	24018	687	77953	14738
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	24	16	नगण्य	50	10
<b>XIवी योजना (2007-12)</b>						
औसत	259378	35332	44392	759	155743	23151
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	14	17	नगण्य	60	9
2007-08	208079	34612	34500	742	120998	17227
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	17	17	नगण्य	58	8
2008-09	208728	30846	38608	540	118146	20588
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	15	19	नगण्य	57	10
2009-10	244827	35849	50250	713	133038	24977
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	15	21	नगण्य	54	10
2010-11	358681	35299	47993	814	248252	26323
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	10	14	नगण्य	69	7
2011-12	276573	40054	50609	988	158283	26639
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	15	18	नगण्य	57	10
<b>वृद्धि की औसत वार्षिक दर</b>						
<b>X वी योजना (2002-07)</b>	<b>4.86</b>	<b>(-) 13.56</b>	<b>8.65</b>	<b>16.07</b>	<b>13.07</b>	<b>5.59</b>
<b>XI वी योजना (2007-12)</b>	<b>11.75</b>	<b>4.36</b>	<b>10.34</b>	<b>10.33</b>	<b>13.65</b>	<b>11.82</b>
2007-08	20.83	30.35	17.71	58.89	20.44	11.75
2008-09	0.31	(-)10.88	11.91	(-)27.22	(-)2.36	19.51
2009-10	17.29	16.22	30.15	32.04	12.60	21.32
2010-11	46.50	(-)1.53	(-)4.49	14.17	86.60	5.39
2011-12	(-)22.89	13.47	5.45	21.38	(-)36.24	1.20

टिप्पणी: सापेक्ष अंशों को दर्शाते हुए आंकड़ों को पूर्णांक के समीप पूर्णांकन कर दिया गया है इसलिए कुल योग को हमेशा 100 में न जोड़ा जाए। नगण्य उस आंकड़ों संदर्भित करता है जहां उप-घटक का अंश गैर कर राजस्व से 0.5 प्रतिशत से कम है।

# अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान तथा अंशदान शामिल है।


सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा सामाजिक सुरक्षा आदि शामिल है।

आर्थिक सेवाओं में डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्यपालन, वन, वृक्षारोपण, खाद्य भण्डारण तथा गोदाम, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सिंचाई हेतु उपभोक्ता प्रभार, ऊर्जा का प्रावधान, सा.क्षे.उ. तथा रेलवे, डाक, जहाजरानी आदि जैसे सरकारी उपक्रमों की प्राप्ति शामिल हैं।

\*\* राजकोषीय सेवाएं तथा अन्य सामान्य सेवाएं (पुलिस, लोक निर्माण कार्य, लेखन-सामग्री तथा मुद्रण आदि)

गैर-कर राजस्व के घटकों के सापेक्ष अंश निम्न चार्ट 1.3 में नीचे दर्शाए गये हैं। यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान आर्थिक सेवाओं से प्राप्ति ने गैर-कर राजस्व मुख्य भाग बनाया।

चार्ट 1.3 : गैर-राजस्व के घटक



### 1.2.5 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति, विविध पूंजीगत प्राप्ति (बोनस अंश, विनिवेश आदि) तथा ऋण एवं पेशगियों की वसूली से बनती हैं। तालिका 1.6 विनिवेश से गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति तथा राज्य तथा संघ क्षेत्र सरकारों, विदेशी सरकारों, सरकारी निगमों, गैर-सरकारी संस्थानों तथा सरकारी कर्मचारियों को संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जे एवं पेशगियों की वसूली का विवरण प्रस्तुत करती हैं। जैसा कि तालिका पिछले दो वर्षों अर्थात् 2010-11 और 2011-12 में दर्शाती है, विनिवेश से वास्तविक प्राप्ति बजट अनुमानों से काफी कम थी। तथापि, ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान ऋण एवं पेशगियों की वास्तविक वसूली बजट अनुमानों से अधिक थी।

तालिका 1.6: ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान विनिवेश से प्राप्ति तथा कर्जों की वसूली

अवधि	विनिवेश			ऋणों की वसूली		
	बजट अनुमान (ब.अ.)	वास्तविक प्राप्ति (वा.प्रा.)	वा.प्र. से ब.अ. की प्रतिशतता	बजट अनुमान (ब.अ.)	वास्तविक प्राप्ति (वा.प्रा.)	वा.प्र. से ब.अ. की प्रतिशतता
	(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)		
2007-08	1651	4387	265.72	3030	10391	342.94
2008-09	1165	22	1.89	5993	13509	225.41
2009-10	1120	23599	2107.05	5720	12733	222.61
2010-11	40000	22277	55.69	6624	29253	441.62
2011-12	40000	14027*	35.07	16510	36818	223.00

\* ₹ 4,060 करोड़ की सकल अन्य प्राप्ति तथा बोनस अंश से प्राप्ति शामिल नहीं हैं।

वर्ष के दौरान प्राप्त विनिवेश प्राप्ति का ब्यौरा नीचे तालिका 1.7 में दिया गया है :

तालिका 1.7: 2010-11 के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (के.सा.क्षे.उ.) में छोटी अंशधारिता की बिक्री से विनिवेश प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)


क्र.सं.	के.सा.क्षे.उ. का नाम	कुल प्राप्त मूल्य <sup>3</sup>
1.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	12749.50
2.	वित्त निगम लिमिटेड	1144.55
3.	विशाखापत्तनम स्टील परियोजना	100.00
4.	कोचीन शिपयार्ड लिमि.	20.00
5.	मेटालूरजिकल एवं इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट लि.	12.60
6.	स्लॉटर हाउस निगम	0.71
<b>कुल</b>		<b>14027.36</b>

### 1.3 व्यय विश्लेषण

भारत सरकार की समेकित निधि से तथा लोक लेखे से कुल संवितरण ₹ 56,33,036 करोड़ था। जैसा कि **बाक्स 1.2**, में दर्शाया गया है कि कुल संवितरण के तीन मुख्य घटक हैं। ऋणों का पुनर्भुगतान कुल संवितरणों का सबसे बड़ा घटक है जो कुल संवितरण का 62 प्रतिशत है।

<sup>3</sup>महानियंत्रक लेखा तथा संघ के वित्त लेखे 2011-12 द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार


**बॉक्स 1.2: कुल संवितरणों के घटक**



2011-12 में, सरकार के कुल संवितरणों में 15.48 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई। वर्तमान वर्ष में, संघ सरकार ने ऋण पुनर्भुगतानों के रूप में अपने व्यय के 62 प्रतिशत का, लोक लेखा में भुगतान के प्रति 12 प्रतिशत का संवितरण किया तथा वर्तमान व्यय हेतु उनके पास वास्तविक व्यय का केवल 26 प्रतिशत ही बचा। उच्च ऋण पुनर्भुगतान बाध्यताओं का परिणाम चालू प्रचालनों हेतु उपलब्ध वास्तविक व्यय के निम्न अनुपात में हुआ।

बजट अनुमानों से तुलना करने पर वास्तविक व्यय बजट अनुमानों से 18 प्रतिशत अधिक था। जैसा कि चार्ट 1.4 से देखा जा सकता है कि वास्तविक व्यय में आधिक्य हेतु आधिक्य गैर-योजनागत राजस्व व्यय ही एकमात्र जिम्मेदार था।

चार्ट 1.4: मुख्य व्यय पैरामीटरों पर बजट अनुमानों ('एक दृष्टि पर बजट' के अनुसार) तथा वित्त लेखे 2010-11 की एक तुलना




# एक दृष्टि पर बजट के अनुसार.

टिप्पणी: योजनागत तथा गैर-योजनागत व्यय में कर्जे तथा पेशगियों का संवितरण शामिल है।

**चार्ट सं. 1.5** भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) से व्यय का विवरण जैसा कि चार्ट से देखा जा सकता है, कि भा.स.नि. से अधिकांश व्यय ऋण के पुनर्भुगतान के प्रति है। लोक ऋण का पुनर्भुगतान का सापेक्ष अंश 2010-11 से 67 प्रतिशत से 2011-12 में 71 प्रतिशत बढ़ गया। दूसरी तरफ अनुदान सहायता (जिसमें पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन तथा वेतन हेतु अनुदान सहायता शामिल है) में एक प्रतिशत की गिरावट आई तथा 2011-12 में भा.स.नि. के सात प्रतिशत पर रही।

चार्ट 1.5: भारत की समेकित निधि से व्यय का विभाजन



टिप्पणी: डाटा 'ई-लेखा'<sup>4</sup> पोर्टल से निकाला गया है। इसमें जर्नल की प्रविष्टियाँ शामिल नहीं है। गलत वर्गीकरण के कारण, ₹ 65000 करोड़ आर्थिक सहायता को गिना नहीं गया।

नीचे तालिका 1.8 सरकार द्वारा किए गए संवितरणों के मुख्य घटकों के अंश को दर्शाती है। जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है कि कुल संवितरण में ऋण के पुनर्भुगतान का अनुपात दसवीं योजना अवधि के दौरान 45.26 प्रतिशत से बारहवीं योजना अवधि में 59.63 प्रतिशत तक बढ़ा है। इसके परिणामस्वरूप वास्तविक व्यय के अंश को 33.10 प्रतिशत से 27.13 प्रतिशत तक कम किया। वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय 87.27 प्रतिशत से 88.37 प्रतिशत तक

<sup>4</sup>ई-लेखा एक केन्द्रक लेखांकन आई.टी. सोल्यूशन है जिसका प्रयोग महालेखा नियंत्रक द्वारा किया जाता है। लेखांकन समायोजनों के संदर्भ में जर्नल प्रविष्टियाँ लेखाओं के बंद करने से पहले किन्तु लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने से पहले की जाती है।

सीमांतक रूप से बढ़ा है। वास्तविक व्यय के प्रति योजनागत व्यय का अनुपात दसवीं योजना में 24.17 प्रतिशत से ग्यारहवीं योजना में 26.30 प्रतिशत तक सीमांतक रूप से बढ़ा है।

तालिका 1.8: दसवीं एवं ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कुल संवितरण के घटक


विवरण	X योजना (2002-07)	XI योजना (2007-12)
कुल संवितरण (कु.सं.) (प्रतिशत में)	100.00	100.00
<b>कु.सं. की प्रतिशतता कु.सं. के घटक</b>		
ऋण का पुर्नभुगतान	45.26	59.63
लोक लेखा से संवितरण	21.64	13.24
वास्तविक व्यय (वा.व्य.)	33.10	27.13
<b>वा.व्य. की प्रतिशतता में वा.व्य. के घटक</b>		
राजस्व व्यय (रा.व्य. (रा.व्य))	87.27	88.37
पूंजीगत व्यय (पूं.व्य.)	8.19	9.60
कर्ज एवं पेशागियां (क.पे.)	4.54	2.03
<b>रा.व्य. की प्रतिशतता के रूप में रा.व्यय के घटक</b>		
योजनागत राजस्व व्यय	20.29	24.75
गैर-योजनागत राजस्व व्यय	79.71	75.25
<b>पूं.व्य. की प्रतिशतता के रूप में व्यय के घटक</b>		
योजनागत राजस्व व्यय	38.22	32.98
गैर-योजनागत राजस्व व्यय	61.78	67.02
<b>क.पे. की प्रतिशतता के रूप में क.पे. के घटक</b>		
योजनागत कर्ज	73.29	61.97
गैर-योजनागत कर्ज	26.71	38.03
<b>वा.व्य. की प्रतिशतता के रूप में योजनागत व्यय</b>	24.17	26.30
<b>वा.व्य. की प्रतिशतता के रूप में गैर योजनागत व्यय</b>	75.83	73.70

### 1.3.1 राजस्व तथा पूंजीगत व्यय

राजस्व व्यय वह वर्तमान व्यय है, जो परिसम्पत्तियों के सृजन का परिणाम नहीं होता। यह केवल सरकार के अनुसंधान व्यय, ब्याज भुगतानों, आर्थिक सहायताओं तथा अन्तरणों आदि के सामान्य रूप से चलते रहने के लिए होता है। राज्य सरकारों अथवा अन्य निकायों या प्राधिकरणों के दिए गए अनुदानों को राजस्व व्यय के रूप में भी माना जाता है। पूंजीगत व्यय में परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण हेतु भुगतान, शेयरों में निवेश तथा सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं पेशागियां शामिल हैं।

**चार्ट 1.6** पूंजीगत व्यय के अग्र राजस्व व्यय की प्रभाविता को दर्शाता है।

चार्ट 1.6: पूंजीगत व्यय के साथ राजस्व व्यय की तुलना




\* ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं

### 1.3.2 योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय

वित्त लेखे व्यय को आगे योजनागत और योजनेत्तर में बांटने का प्रावधान करते हैं। योजनागत व्यय, सामान्यतः नई परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर संवृद्धि विकासात्मक व्यय से संबंधित होता है तथा इसमें राजस्व तथा पूंजीगत व्यय दोनों समाविष्ट होते हैं। दूसरी ओर, योजनेत्तर व्यय का सामान्यतः पहले से प्राप्त सेवाओं के स्तरों को बनाए रखने के लिए उपयोग होता है। तथापि, योजनागत तथा योजनेत्तर व्यय दोनों में, राजस्व व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय में वृद्धि को गुणात्मक रूप से अधिक वांछनीय माना जाता है क्योंकि इससे सरकार द्वारा सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना नेटवर्क का विस्तार और पूंजी निर्माण होता है। चार्ट 1.7 सरकार के योजनागत और योजनेत्तर व्यय का ब्यौरा दर्शाती है। वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में योजनागत व्यय 2010-11 तथा 2011-12 में लगभग 28 प्रतिशत पर बना रहा था।

चार्ट 1.7: योजनागत व्यय एवं गैर-योजनागत व्यय का विश्लेषण




### 1.3.3 राजस्व व्यय का विश्लेषण

#### (क) राजस्व व्यय का आधिक्य

शासकीय व्यय का अधिकांश भाग राजस्व व्यय की तरफ जाता है जिससे प्रायः सरकार की नई परिसम्पत्तियों का निर्माण नहीं होता तथा इससे सरकारी मशीनरी का नियमित परिचालन तथा रखरखाव किया जाता है। 2011-12 का कुल राजस्व व्यय ₹ 13,05,195 करोड़ था। जैसाकि नीचे चार्ट 1.8 में दिया गया है। राजस्व व्यय का लगभग दो तिहाई तीन संघटकों अर्थात् सहायता अनुदान, ब्याज भुगतान तथा आर्थिक सहायता की ओर था।

चार्ट 1.8: राजस्व व्यय के मुख्य घटक



नोट: डाटा 'ई-लेखा' पोर्टल से प्राप्त किया गया है। जर्नल प्रविष्टियाँ शामिल नहीं है। गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 65000 करोड़ की आर्थिक सहायता को गिना नहीं गया।

दसवीं योजना अवधि के दौरान, वास्तविक व्यय के प्रति राजस्व व्यय का औसतन अंश लगभग 87 प्रतिशत था जो ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान लगभग 88 प्रतिशत की औसत से बढ़ गया। 2008-09 में राजस्व व्यय का अंश व्यय के लगभग 92 प्रतिशत तक बढ़ा तथा 2010-11 में धीरे-धीरे घटकर लगभग 87 प्रतिशत तथा वर्तमान वर्ष में 88 प्रतिशत के लगभग तक कम हुआ।

राजस्व व्यय 2010-11 के दौरान 12.16 प्रतिशत के प्रति वर्तमान वर्ष के दौरान 10.04 प्रतिशत तक बढ़ गया। वचनबद्ध तथा अनिवार्य व्यय जैसे कि ब्याज भुगतान, पेंशन, वेतन तथा रक्षा संबंधित व्यय राजस्व व्यय का मुख्य अंश लेता है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान, ब्याज भुगतान 11.98 प्रतिशत औसत दर पर बढ़ा जो दसवीं योजना अवधि के दौरान वृद्धि दर (5.40 प्रतिशत) के दोगुना

से अधिक था, जिसने बजट को वित्तपोषित करने हेतु ऋण पर अधिक भरोसे को दर्शाया। वर्तमान वर्ष में ब्याज भुगतानों में भारी वृद्धि (17 प्रतिशत) हुई थी। छठे वेतन आयोग के निर्णय का परिणाम 2008-09 (62 प्रतिशत) में वेतन एवं भत्तों में पर्याप्त वृद्धि में हुआ। तथापि, वर्तमान वर्ष में, इस शीर्ष के अंतर्गत 11 प्रतिशत की वृद्धि थी। रक्षा व्यय, जिसमें राजस्व व्यय का लगभग आठ प्रतिशत दर्ज किया गया था, वर्तमान वर्ष में 12 प्रतिशत तक बढ़ा।


### (ख) राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

**सहायता अनुदान:** सामान्य तथा पूंजी निर्माण दोनों के लिए सहायता अनुदान वे अनुदान होते हैं जो राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों, विदेशी सरकारों या भारत की समेकित निधि से बाहर निकायों/प्राधिकरणों/हस्तियों को दिए जाते हैं। अनुदानों को उसी उद्देश्य जिसके लिए वे संस्वीकृत किए गए हैं, उपयोग किया जाना होता है तथा शेष अप्रयुक्त राशियों को अभ्यर्पित अथवा आवर्ती अनुदानों के मामले में भविष्य में समायोजित किया जाना होता है। सार्वजनिक वितरण के नए मॉडलों के संदर्भ में सहायता अनुदानों को एक केन्द्रीयता की भूमिका के रूप में माना गया है। **चार्ट 1.8** सहायता अनुदानों को, सिविल मंत्रालयों हेतु राजस्व व्यय के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक के रूप में दर्शाती है। राजस्व व्यय में सहायता अनुदान का अनुपात 2007-08 में 27 प्रतिशत रहा, जो चालू वर्ष में बढ़कर 29 प्रतिशत हो गया।

**ब्याज भुगतान:** **चार्ट 1.8** के अनुसार, ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का दूसरा बड़ा घटक है। यह लोक ऋण, आंतरिक एवं बाह्य दोनों पर ब्याज तथा सरकार की अन्य ब्याज सहित देयताओं जिसमें बीमा तथा पेंशन निधियां, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा, विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज, तथा बाजार स्थिरीकरण योजना के अन्तर्गत उधारों पर ब्याज भुगतान शामिल थे, का भुगतान करने की व्यवस्था करता है। राजस्व व्यय से ब्याज भुगतान का अनुपात वर्ष 2007-08 में 24.5 प्रतिशत था जो चालू वर्ष में 22 प्रतिशत तक कम हो गया।

जैसाकि **चार्ट 1.9** में दर्शाया गया है, आन्तरिक ऋण (₹ 2,42,569 करोड़) के प्रति ब्याज भुगतान कुल ब्याज भुगतानों (₹2,86,982 करोड़) का 84 प्रतिशत बनता है।

चार्ट 1.9: ब्याज व्यय के प्रमुख घटक



स्रोत: संघ सरकार के 2011-12 के वित्त लेखे

कुल ब्याज भुगतान ₹2,86,982 करोड़, आंतरिक ऋण ₹2,42,569 करोड़, बाह्य ऋण ₹3,501 करोड़, लघु बचत एवं भविष्य निधि ₹25,110 करोड़ पैट्रोलियम बंधपत्रों पर ब्याज ₹10,551 करोड़ अन्य ₹5,251 करोड़।

**आर्थिक सहायता:** आर्थिक सहायता, आर्थिक लाभ (यथा कर भत्ता या शुल्क छूट) या वित्तीय सहायता (यथा नकद अनुदान या आसान ऋण) को प्रदर्शित करती है जो सरकार द्वारा किसी वस्तु के बाजार मूल्य को इसके लागत मूल्य कम करने के लिए प्रदान की जाती हैं। **तालिका 1.9** आर्थिक सहायताओं, जिसे सरकार ने दसवीं योजना अवधि और ग्यारहवीं योजना के अवधि के दौरान सुस्पष्ट रूप से प्रदान किया था, की स्थिति दर्शाती है। वर्तमान वर्ष में कुल आर्थिक सहायताएं चालू वर्ष 2010-11 से 23 प्रतिशत तक बढ़ी।

तालिका 1.9: संघ सरकार के बजट में सुस्पष्ट आर्थिक सहायताएं

(₹ करोड़ में)

अवधि	खाद्य	उर्वरक @ (यूरिया)	उर्वरक # (विनियंत्रित)	पैट्रोलियम आर्थिक सहायता **	अन्य *	कुल आर्थिक सहायताएं	आर्थिक सहायताएं (अ)	आर्थिक सहायताएं (ब)
औसत वार्षिक मूल्य								
X वी योजना (2002-07)	23941^^	10969	5717	3971	2596	47194	1.42	9.42
XI वी योजना (2007-12)								
2007-08	31328	19556^	12934	2820	4288	70926	1.43	9.65
2008-09	43751	28048^	48555	2852	6502	129708	2.33	12.84
2009-10	58443	22184	39452	2951	6692	129722	1.98	12.27
2010-11	63844	24337	41500	38371	9695	177747	2.26	14.99
2011-12	72822	33924	36108	68481	6567	217902	2.46	16.69

@ देशी एवं आयातित उर्वरकों (यूरिया) पर दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है।

# विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री पर किसानों को छूट के रूप में दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है।

\* अन्य में इमदादी ब्याज, नैफेड को दिए गए अनुदान, विनिमय हानि हेतु क्षतिपूर्ति, हज घोषणा-पत्र हेतु आर्थिक सहायता आदि शामिल हैं।

\*\*प्रशासनिक मूल्य तंत्र के अन्तर्गत उनके दावों के निपटान में एवं संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण वसूलियों के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के प्रति तेल कम्पनियों को क्रमशः 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान जारी किए गए, ₹ 20,554 करोड़, ₹ 75,942 करोड़, एवं ₹ 10,306 करोड़ के पेट्रोलियम बन्ध-पत्रों को शामिल नहीं करता। 2009-10 के दौरान संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण कम वसूलियों के लिए क्षतिपूर्ति के प्रति ₹ 12000 करोड़ का व्यय भी शामिल नहीं है।


^उर्वरक आर्थिक सहायता के प्रति क्षतिपूर्ति के रूप में उर्वरक कम्पनियों को 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान जारी किए गए क्रमशः ₹ 7,500 करोड़ (यूरिया हेतु ₹ 3,500 करोड़, विनियंत्रित उर्वरक हेतु ₹ 4,000 करोड़) एवं ₹ 20,000 करोड़ (यूरिया हेतु ₹ 3,000 करोड़ तथा विनियंत्रित उर्वरक हेतु ₹ 17,000 करोड़) के विशेष बंधपत्र को शामिल नहीं किया गया है।

(अ) स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में (ब) राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में

2011-12 में पेट्रोलियम आर्थिक सहायताओं (₹ 30,110 करोड़) में अधिक वृद्धि हेतु कारणों को मुख्य रूप से घरेलू एल.पी.जी. की बिक्री तथा मिट्टी के तेल (पी.डी.एस.) प्रचालनों के कारण क्षतिपूर्ति के प्रति कम वसूलियों हेतु ₹ 30,000 करोड़ तक की तेजी से वृद्धि को आरोपणीय है।

दसवीं योजना तथा ग्यारहवीं योजना में सरकार द्वारा दी गई स्पष्ट आर्थिक सहायता के घटक नीचे चार्ट 1.10 में भी दर्शाए गए हैं। जैसा कि चार्ट तथा ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है, आर्थिक सहायताओं में दसवीं योजना में स.घ.उ. के औसतन 1.42 प्रतिशत से ग्यारहवीं योजना में 2.17 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। वास्तव में, यदि 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 वर्षों के लिए पेट्रोलियम बंधपत्रों तथा उर्वरक बंधपत्रों पर व्यय को आर्थिक सहायता के रूप में गिना जाए, ग्यारहवीं योजना में स.घ.उ. आर्थिक सहायताओं के रूप में प्रतिशतता 2.17 प्रतिशत से 2.57 प्रतिशत बढ़ी। 2011-12 में, सरकार द्वारा प्रदान की गई सुस्पष्ट आर्थिक सहायता स.घ.उ. का 2.46 प्रतिशत बनी। खाद्य आर्थिक सहायता का हिस्सा दसवीं योजना में 51 प्रतिशत से गिरकर ग्यारहवीं योजना में 37 प्रतिशत हो गया। दूसरी तरफ पेट्रोलियम आर्थिक सहायता का हिस्सा 8 प्रतिशत से 16 प्रतिशत तक दोगुना हो गया है।


चार्ट 1.10: सुस्पष्ट आर्थिक सहायता के घटक



आर्थिक सहायता न केवल सुस्पष्ट रूप से, अर्थात् बजट के माध्यम से प्रदान की जाती है, बल्कि लोगों को इमदादी लोक सेवा प्रदान करके भी उपलब्ध करायी जाती है। इस प्रकार की आर्थिक सहायताओं को सामान्यतया अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता के रूप में नामित किया जाता है। वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों को बजटीय सहायता, लो.क्षे.उ. में इसके निवेश से अपर्याप्त वापसी तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से उपभोक्ता प्रभारों की अपर्याप्त वसूली, जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता की श्रेणी में आती है। **तालिका 1.9** में प्रदर्शित आर्थिक सहायताएं केवल 'स्पष्ट आर्थिक सहायताएं' से संबंधित है जिनके लिए संबंधित वर्षों के संघ बजट में आबंटन किए जाते हैं। इस प्रकार, यह प्रवृत्तियां आंशिक चित्र प्रस्तुत करती है क्योंकि ये जन हित में सरकार द्वारा लागू किए गए मूल्य नियंत्रण के कारण अपने उत्पादों की कम वसूलियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में संबंधित कम्पनियों को विशेष बंध-पत्र/प्रतिभूतियों को जारी करके संघ सरकार द्वारा सृजित अतिरिक्त बजटीय देयताओं से विशिष्ट हैं। अगर इन अतिरिक्त बजटीय देयताओं को भी आर्थिक सहायता के रूप में माना जाता है तो आर्थिक सहायताओं पर संघ सरकार का व्यय तीव्रता से बढ़ेगा तथा आर्थिक सहायताओं पर किए जाने वाले वास्तविक व्यय को अधिक सटीकता से प्रदर्शित करेगा।

**पेंशन भुगतान** - पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय 2007-08 में ₹24,261 करोड़ से बढ़कर ग्यारहवीं योजना अवधि में ₹61,166 करोड़ हो गया जिसने ग्यारहवीं योजना अवधि में 152 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। **चार्ट 1.11**, 2007-12 की अवधि की स्थिति को दर्शाता है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान विचाराधीन रक्षा पेंशनों, के मामले में, पेंशन भुगतानों में 146 प्रतिशत तक वृद्धि हुई तथा यह ₹37,569 करोड़ बना जो संघ सरकार द्वारा किए गए कुल पेंशन भुगतान का 61 प्रतिशत था। सिविल पेंशन ₹9,017 करोड़ रही जो ग्यारहवीं योजना अवधि में बढ़कर ₹23,597 करोड़ हो गई और उसमें ग्यारहवीं योजना अवधि में 162 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

चार्ट 1.11: 2007-12 की अवधि के लिए पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय




**रक्षा व्यय:** रक्षा क्षेत्र के राजस्व व्यय में, थल सेना (₹ 71,795 करोड़), जल सेना (₹ 12,059 करोड़), वायु सेना (₹ 17,322 करोड़), आयुध कारखानों (₹1,127 करोड़) अनुसंधान एवं विकास (₹ 5,321 करोड़) रक्षा पेंशन (₹ 37,569 करोड़) तथा रक्षा मंत्रालय (₹ 14,920 करोड़) के व्यय शामिल हैं। 2010-11 में, यह केन्द्रीय सरकार के कुल राजस्व व्यय का 12 प्रतिशत हुआ।

#### 1.3.4 पूंजीगत व्यय का विश्लेषण

पूंजीगत व्यय (ऋण तथा अग्रिमों सहित) जो परिसम्पत्ति अर्जन पर किए गए व्यय का तथा मौजूदा परिसम्पत्तियों के उपयोग में वृद्धि करने का सूचक है, जो पिछले वर्ष में ₹ 3,443 करोड़ (2 प्रतिशत) तक घटा तथा 2011-12 में ₹ 1,177,869 करोड़ पर रहा।

चार्ट 1.12 पूंजीगत व्यय का आबंटन - मुख्य क्षेत्र (प्रतिशत में)



रक्षा सेवाएं: ₹67,902 करोड़, परिवहन: ₹10,713 करोड़, रेलवे: ₹23,013 करोड़, सामान्य आर्थिक सेवाएं: ₹25,480 करोड़ और अन्य: ₹50,761 करोड़

चार्ट 1.12 दर्शाता है कि रक्षा सेवाओं, परिवहन, रेलवे तथा सामान्य आर्थिक सेवाओं ने चालू वर्ष में पूंजीगत व्यय का 71 प्रतिशत व्यय लेखाबद्ध किया।

- सामान्य आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय मुख्य रूप से 'सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम' में निवेशित ₹ 12,095 करोड़ (अर्थात 47 प्रतिशत), अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि को अभिदत्त ₹ 4,054 करोड़ (16 प्रतिशत) तथा अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं हेतु प्रदान किए कर्जे के लिए ₹ 7,270 करोड़ (28 प्रतिशत से अधिक) को आरोपणीय था।
- 'अन्य' के मामले में, व्यय का मुख्य खण्ड राज्य सरकारों को कर्जे एवं पेशगियों (₹10,016 करोड़), लक्षित/सार्वजनिक संवितरण प्रणाली 'खाद्य भण्डारण एवं गोदाम' के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम के प्रापण कार्यों हेतु कर्जे (₹10,000 करोड़), 'पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय' (₹5,524 करोड़) तथा दिल्ली/बेंगलोर/कोलकाता/चैन्नई मेट्रो रेल निगम शहरी विकास हेतु कर्जे (₹3,463 करोड़) को आरोपणीय है।


### 1.3.5 योजनागत व्यय का विश्लेषण

संघ का 2007-08 में कुल योजनागत व्यय ₹ 2,05,082 करोड़ था जो 2010-11 के दौरान बढ़कर ₹ 3,79,065 करोड़ हो गया। यह 2011-12 के दौरान और बढ़कर ₹ 4,12,394 करोड़ हो गया जो वास्तविक व्यय का 27.81 प्रतिशत बना। व्यय द्वारा प्रमुख 10 अनुदानों (चार्ट 1.16) ने 2011-12 में संघ सरकार के कुल योजनागत व्यय का 71.6 प्रतिशत दर्ज किया। जैसा कि पहले दर्ज किया गया था कि दसवीं योजना में वास्तविक व्यय 24.17 प्रतिशत से ग्यारहवीं योजना में 26.30 प्रतिशत तक बढ़ गया।

### 1.3.6 सरकार के मुख्य ध्वजपोत कार्यक्रम- पिछले तीन वर्षों में वास्तविक व्यय

संघ सरकार ध्वजपोत कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्य विकास प्राथमिकताओं पर लक्ष्य कर रही है। नीचे **चार्ट 1.13** 2009-12 की अवधि के दौरान इन मुख्य ध्वजपोत कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय को दर्शाता है।

**चार्ट 1.13: ग्यारहवीं योजना के दौरान ध्वजपोत कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय**



\* स.शि.अ.=सर्व शिक्षा अभियान, दो.भो.यो.=दोपहर के भोजन की योजना, रा.ग्रा.रो.आ.यो.=राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन योजना, रा.गा.ग्रा.वि.यो.=राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इं.आ.यो.=इंदिरा आवास योजना, प्र.मं.ग्रा.स.यो.=प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रा.ग्रा.स्वा.यो.=राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना

उपर दर्शाई गई सात ध्वजपोत योजनाओं पर कुल व्यय 2009-10 में ₹93,143 करोड़ से 2010-11 में ₹1,18,649 करोड़ तथा चालू वर्ष में ₹1,09,379 करोड़ तक घट गया है। **चार्ट 1.13** तथा **तालिका 1.10** से यह देखा जा सकता है कि मा.गा.रा.ग्रा.रो.आ.यो., रा.गा.ग्रा.वि. यो., इं.आ.यो. तथा प्र.मं.ग्रा.स.यो. जैसी मुख्य योजनाओं में, जब उनकी पिछले वर्ष से तुलना की गई तथा बजट अनुमानों से तुलना में भी व्यय में गिरावट देखी गई।

**तालिका 1.10: पिछले तीन वर्षों में सरकार के कुल मुख्य ध्वजपोत कार्यक्रम - वास्तविक व्यय बनाम बजट अनुमान (ब.अ.)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यक्रम	2009-10			2010-11			2011-12		
		ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.से विचलन (प्रतिशत में)	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.से विचलन (प्रतिशत में)	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.से विचलन (प्रतिशत में)
1	स.शि.अ.	13100	12825	(-)2.10	15000	19637	30.90	20413	20841	2.10
2	दो.भो.यो.	8000	6932	(-)13.40	9440	9118	(-)3.40	10061	9891	(-)1.69
3	रा.ग्रा.रो.आ.यो.	39100	33538	(-)14.20	40100	35841	(-)10.60	40000	29213	(-)26.97


(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यक्रम	2009-10			2010-11			2011-12		
		ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.से विचलन (प्रतिशत में)	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.से विचलन (प्रतिशत में)	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.से विचलन (प्रतिशत में)
4	रा.गा.ग्रा.वि.यो.	6300	5000	(-)20.64	5500	5000	(-)9.10	6000	2237	(-)62.72
5	इं.आ.यो.	8800	8800	-	10000	10337	3.40	10000	9872	(-)1.28
6	प्र.मं.ग्रा.स.यो.	12000	11340	(-)5.50	12000	22400	86.70	20000	19342	(-)46.34
7	रा.ग्रा.स्वा.मि.	15534	14708	(-)5.32	17138	16316	(-) 4.80	19838	17983	(-)9.35
		<b>102834</b>	<b>93143</b>		<b>109178</b>	<b>118649</b>		<b>126312</b>	<b>109379</b>	

### 1.3.7 योजनागत व्यय के मुख्य घटक<sup>5</sup>

जैसा कि चार्ट 1.14 से देखा जा सकता है कि अनुदान सहायता, निवेश, कर्जे एवं आर्थिक सहायता योजनागत व्यय का 89 प्रतिशत बनते हैं। सिविल मंत्रालयों के मामले में 2011-12 के दौरान अनुदान सहायता कुल योजनागत व्यय का 75 प्रतिशत बनती है। पूंजीगत संबंधित योजनागत व्यय कुल योजनागत व्यय के 12 प्रतिशत तक निम्न था। योजनागत व्यय के मंत्रालय वार /अनुदान -वार घटक अनुबंध 1-क में दिए गए हैं

चार्ट 1.14 योजनागत व्यय के मुख्य घटक




टिप्पणी - "ई-लेखा" पोर्टल से लिए गए डाटा (डाक एवं दूर संचार तथा रेलवे से संबंधित अनुदान के अलावा) जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं हैं।

<sup>5</sup> डाक तथा रेलवे से संबंधित अनुदान के अलावा

**चार्ट 1.15** ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कुल योजनागत व्यय के भाग के रूप में अनुदान सहायता (पूँजीगत निर्माण और वेतन हेतु अनुदान सहायता सहित) को दर्शाता है। अनुदान सहायता कुल योजनागत व्यय के 76 प्रतिशत तथा 79 प्रतिशत के बीच थी।

**चार्ट 1.15:** कुल योजनागत व्यय के अनुपात के रूप में सहायता अनुदान (पूँजीगत निर्माण हेतु सहायता अनुदान सहित)




टिप्पणी: 'ई-लेखा' पोर्टल से लिए गए डाटा (डाक तथा रेलवे से संबंधित अनुदान के अलावा)। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं है।

### 1.3.8 मुख्य मंत्रालयों में योजनागत व्यय में सहायता अनुदान का अनुपात

नीचे **चार्ट 1.16** 2011-12 में वृहत योजनागत व्यय वाले 10 मंत्रालयों/विभागों हेतु योजनागत व्यय के भीतर सहायता अनुदान के अनुपात को दर्शाता है।

चार्ट 1.16: मुख्य मंत्रालयों/विभागों में कुल योजनागत व्यय के अनुपात के रूप में सहायता अनुदान (पूँजीगत निर्माण हेतु सहायता अनुदान सहित)



\* राशि ₹ करोड़ में

टिप्पणी: अ.स.=अनुदान सहायता, यो.व्य.=योजनागत व्यय, रा.सं.शा.क्षे.स.अ.=राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण, ग्रा.वि.=ग्रामीण विकास, स्कू.शि.सा.=स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, स.प.रा.=सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, स्वा.प.क.=स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कृ.स.=कृषि एवं सहकारिता, म.बा.वि.=महिला एवं बाल विकास, वि.से.=वित्तीय सेवाएं, उ.शि.=उच्चतर शिक्षा, पे.ज.आ.=पेय जल आपूर्ति

टिप्पणी: 'ई-लेखा' पोर्टल से लिए गए डाटा (डाक तथा रेलवे से संबंधित अनुदान के अलावा)। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं हैं।

जैसाकि स्पष्ट है कि माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता, महिला एवं बाल विकास तथा पेय जलापूर्ति, ग्रामीण विकास, मंत्रालय/विभागों में लगभग समग्र योजनागत व्यय में निकायों/अप्राधिकरणों/ राज्य सरकारों को सहायता अनुदान का संवितरण शामिल था।

### 1.3.9 राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों/कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना सहायता की सुपुर्दगी की पद्धति

नीचे तालिका 1.11 दर्शाती है कि कुल योजनागत व्यय को केन्द्रीय योजना-सहायता के सीधे अंतरण का अनुपात 2007-08 में 26.71 प्रतिशत से 2011-12 में 26.47 प्रतिशत तक कुछ बढ़ा।

तालिका 1.11: राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों/कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना सहायता का सीधा अंतरण

(₹ करोड़ में)


वर्ष	सीधे अन्तरण की राशि (जैसा व्यय बजट, संस्करण-I, विवरणी सं. 18 में है)	कुल योजना व्यय	कालम 3 से कालम 2 की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)
2007-08	54776	205082	26.71

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सीधे अन्तरण की राशि (जैसा व्यय बजट, संस्करण-I, विवरणी सं. 18 में है)	कुल योजना व्यय	कालम 3 से कालम 2 की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)
2008-09	83224	275301	30.23
2009-10	90521	303593	29.82
2010-11	118740	379065	31.32
2011-12	109173	412394	26.47

**सीधे अंतरण के साथ-साथ राज्य सरकार के माध्यम से अंतरण :** अगर सीधे अंतरण के अनुपात को केन्द्रीय सरकार द्वारा ही गई सहायता अनुदान की कुल राशि के प्रति देखा जाता है तो 2011-12 में सीधा अंतरण कुल योजना अनुदान सहायता के 54 प्रतिशत पर रहा। इसे नीचे चार्ट (चार्ट 1.17) में दर्शाया गया है। यह स्पष्ट है कि निकायों/प्राधिकरणों को अन्तरण राज्य सरकारों को अनुदान के संवितरण की तुलना में अन्तरण संसाधन अन्तरण का एक अधिक पसंदीदा तरीका बन गया है।

चार्ट 1.17 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को अन्तरण बनाम सीधे अन्तरण का अनुपात



टिप्पणी : 'ई-लेखा' पोर्टल से लिए गए डाटा (डाक एवं रेलवे से संबंधित अनुदान के अलावा)। जर्नल प्रविष्टियाँ शामिल नहीं होती।

जैसा कि उपर्युक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि सहायता अनुदान में सीधे अंतरण का अंश ग्यारहवीं योजना अवधि में 55.05 प्रतिशत था। नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा बार-बार प्रकट किया मुख्य चिंता का विषय कि कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा उपयोग की निधियों के लेखे शीघ्र ही उपलब्ध नहीं थे तथा यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या इन अभिकरणों के पास अप्रयुक्त निधियाँ पड़ी हैं। इस मुद्दे पर अध्याय-6 में विस्तृत रूप विचार-विमर्श किया गया है।

### 1.3.10 विगत पाँच वर्षों के लिए व्यय का विषय शीर्ष-वार विश्लेषण

एक अनुदान अथवा विनियोजन मानक विषय के द्वारा वितरित की जाती है जिसके अंतर्गत इसे लेखाबद्ध किया जाएगा। प्रत्येक मानक विषय, जिसके प्रति व्यय हेतु प्रावधान प्रकट होता है, विनियोजन की एक प्राथमिक इकाई का गठन करता है। विनियोजन की यह प्राथमिक इकाई विषय शीर्ष कहलाती है।

विगत पाँच वर्षों के दौरान जिन पाँच वस्तु शीर्षों पर सर्वाधिक व्यय हुआ उन्हें नीचे की तालिका 1.12 में दिया गया है तथा व्यय की प्रवृत्ति तालिका के बाद दिये गये चार्ट 1.18 में दर्शायी गयी है। उधारियों का पुनर्भुगतान और सहायता अनुदान वर्णित अवधि में वृहत वृद्धि दर्शाती है।

तालिका 1.12: 2007-12 के दौरान वृहत व्यय वाले पाँच विषय शीर्ष

वस्तु शीर्ष	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
56- उधारियों के पुनर्भुगतान	16,04,110	21,64,561	30,85,792	28,02,774	34,95,929
सहायता अनुदान <sup>6</sup>	1,97,947	2,64,606	2,91,447	3,52,648	3,67,254
45- ब्याज	1,79,870	2,00,973	2,22,777	2,45,701	2,89,288
33- आर्थिक सहायता	94,523	1,67,461	1,46,437	1,57,817	1,70,132*
63- अंतर खाता अंतरण	56,444	73,663	1,02,073.78	1,13,943	89,436


₹ करोड़ में

टिप्पणी: डाटा स्रोत: 'ई-लेखा' (डाक एवं रेलवे से संबंधित अनुदान के अलावा)। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं होती हैं।

\* यह आंकड़ा अन्य प्रभागों के रूप में ₹ 65000 करोड़ गलत वर्गीकरण शामिल नहीं हैं।

<sup>6</sup> इसमें तीनों विषय शीर्षों अर्थात् 31-सहायता अनुदान सामान्य, 35-पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान, 36-सहायता अनुदान वेतन।

चार्ट 1.18: 2007-12 के दौरान पांच बड़े विषय शीर्षों हेतु प्रवृत्ति विश्लेषण



चार्ट 1.18 दर्शाता है कि भारत सरकार के व्यय का एकमात्र सर्वप्रमुख घटक इसकी उधारियों का पुनर्भुगतान, अर्थात् विषय शीर्ष 56 (चार्ट में द्वितीय अक्ष पर दर्शाया गया) है। उधारियों के पुनर्भुगतान पर व्यय वर्ष 2007-08 में ₹16,04,111 करोड़ से वर्ष 2011-12 में ₹34,95,929 करोड़ यानी लगभग दुगुना हो गया। संघ सरकार के अन्य बड़े घटक सहायता अनुदान, ब्याज, आर्थिक सहायता तथा अंतर-खाता अंतरण थे।

पिछले वर्षों से 2011-12 में व्यय के बुकिंग में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले विषय शीर्ष निम्न तालिका में दिये गये हैं:

तालिका: पिछले वर्षों से 2011-12 में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले पाँच विषय शीर्ष

विषय शीर्ष	2010-11 में व्यय	2011-12 में व्यय	प्रतिशत में वृद्धि
12- विदेश यात्रा व्यय	394.33	1,080.97	174%
42- एकमुश्त प्रावधान	135.69	312.74	130%
22- अस्त्र-शस्त्र	985.47	1,584.85	61%
50- अन्य प्रभार	54,595.71	79,423.84	45%
20- अन्य प्रशासनिक व्यय	645.69	927.87	44%


आगे विश्लेषण ने उजागर किया कि:

- विदेश यात्रा पर व्यय 174 प्रतिशत तक बढ़ा अर्थात् वर्ष 2010-11 में ₹394.33 करोड़ से वर्ष 2011-12 में ₹1,080.97 करोड़ हो गया। एक मंत्रालय/अनुदान-वार विश्लेषण उद्घाटित करता है कि मंत्रिमंडल से संबंधित अनुदान, विदेश यात्रा पर व्यय वर्ष 2010-11 के ₹51.68 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹677.54 करोड़ हो गये और अंततः एक वर्ष में समग्रतः करीब तिगुनी वृद्धि में योगदान दिया। जैसाकि पैरा 4.19 में दर्ज किया गया है कि विदेश यात्रा व्यय में अति विशिष्ट व्यक्ति यात्रा हेतु प्रयोग में लाए गए वायुयान के अनुस्क्षण हेतु भुगतान पर विदेश यात्रा व्यय के रूप में ₹381.28 करोड़ का गलत वर्गीकृत व्यय भी शामिल है।
- एकमुश्त प्रावधान पर व्यय वर्ष 2010-11 के ₹135.69 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 312.74 करोड़ हो गया। इसका मुख्य कारण आर्थिक मामले विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 में एकमुश्त प्रावधान पर ₹ 300.00 करोड़ का व्यय था। वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में निहित निर्देशों के अनुसार एकमुश्त प्रावधान ₹ 10.00 लाख से अधिक नहीं होने चाहिए और सभी अन्य मामलों में व्यय विवरण दिये जाने चाहिए।
- यह देखा गया था कि अस्त्र-शस्त्रों पर व्यय का 98 प्रतिशत से अधिक दोनों वर्षों में पुलिस से संबंधित अनुदान में दर्ज किया गया था, जो 2010-11 में ₹ 981 करोड़ से 2011-12 में ₹1,571 करोड़ तक बढ़ गया।
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा पेंशन मंत्रालय ने विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत व्यय में 45 प्रतिशत बुकिंग वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान किया था। 2011-12 में ₹ 65,000 करोड़ का व्यय शामिल है जो 'आर्थिक सहायता' के स्थान पर 'अन्य प्रभारों' के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया। जैसाकि पैरा 4.19 में चर्चा की गई है।
- अन्य प्रशासनिक व्ययों से संबंधित विषय शीर्ष के मामले में पिछले वर्ष से 44 प्रतिशत की वृद्धि थी जो सभी अनुदानों में वितरित की गई।

#### 1.4 व्यय का समय विश्लेषण

व्यय प्रबंधन का एक मुख्य पहलू वर्ष की समाप्ति की ओर व्यय के घनत्व से बचना है। वित्त मंत्रालय ने मार्च माह तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय को बजट अनुमानों के क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 33 प्रतिशत तक सीमित करने हेतु सितम्बर 2007 में मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए। नीचे चार्ट 1.19 दर्शाता है कि कैसे कुल व्यय तथा योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय (रक्षा, रेलवे, डाक एवं दूरसंचार को छोड़कर) का वित्तीय वर्ष में संवितरण हुआ।

चार्ट 1.19: व्यय का माह वार प्रवाह (प्रतिशत में)



भा.स.नि.= भारत की समेकित निधि

टिप्पणी: 'ई लेखा' पोर्टल से लिए गए डाटा (रक्षा, डाक एवं संचार तथा रेलवे से संबंधित अनुदान एवं अनुदान सं. 37 अर्थात् ऋण का विनियोजन-पुनर्भुगतान के अलावा) जर्नल प्रविष्टियां अन्तः लेखा अंतरण तथा वसूलियां शामिल नहीं है।

# इस चार्ट में अन्तर लेखा अन्तरण को शामिल न किए जाने के कारण भा.स.नि. से माह-वार व्यय की प्रतिशतता अनुबंध 1-ख के साथ मेल नहीं खाती है।

सिविल मंत्रालयों<sup>7</sup> हेतु भारत की समेकित निधि से सरकार के कुल व्यय का विश्लेषण दर्शाता है कि कुल वार्षिक व्यय का 18 प्रतिशत मार्च 2012 एवं 34 प्रतिशत वर्ष 2011-12 के अंतिम तिमाही में किया गया था। इसका मुख्य कारण मार्च 2012 में योजनागत व्यय में तीव्र वृद्धि था। योजनागत व्यय तिमाही रूप से 2011 के जून, सितम्बर तथा दिसम्बर में उंचाई पर था तथा मार्च 2012 में कुल योजनागत व्यय के 20 प्रतिशत की सुस्पष्ट वृद्धि को दर्शाता है। गैर-योजनागत व्यय जो वार्षिक व्यय का प्रत्येक माह 5 से 11 प्रतिशत के बीच, औसत या जो वर्ष के लिए कुल गैर-योजनागत व्यय की मार्च 2012 में 17 प्रतिशत तक की तीव्र वृद्धि को दर्शाता है।

**मंत्रालय/विभाग वार समय विश्लेषण:** तालिका 1.14 में एक अनुदान वार विश्लेषण दर्शाता है कि 16 अनुदानों के मामले में कुल व्यय के 23 प्रतिशत से ऊपर मार्च 2012 में व्यय किया गया था। वित्तीय सेवाएं मंत्रालय तथा आर्थिक मामले विभाग के मामले में कुल व्यय का 67 प्रतिशत तथा 56 प्रतिशत मार्च के अंतिम दिन किया गया था। मंत्रालय-वार /अनुदान-वार व्यय का समय विस्तृत विश्लेषण अनुबंध 1-ख में दिया गया है:-

<sup>7</sup> डाक (अनुदान सं. 13), रक्षा (अनुदान सं. 22 से 27) तथा ऋण पुनर्भुगतान (अनुदान सं. 37) को छोड़कर

तालिका 1.14 मार्च 2012 में व्यय का विश्लेषण

अनुदान सं	अनुदान का नाम	कुल व्यय (₹ करोड़ में)	मार्च में व्यय (अनुपूरक लेखे सहित) (₹ करोड़ में)	मार्च में व्यय की प्रतिशतता (अनुपूरक लेखे सहित)	मार्च के अंतिम दिवस पर व्यय (₹ करोड़ में)	मार्च के अंतिम दिवस पर व्यय की प्रतिशतता
033	वित्तीय सेवाएं विभाग	20824	15692	75%	14044	67%
032	आर्थिक मामले विभाग	21455	12632	59%	11963	56%
082	ग्रामीण विकास विभाग	106841	52608	49%	43370	41%
088	जहाजरानी मंत्रालय	1664	758	46%	68	4%
075	विद्युत मंत्रालय	7091	3187	45%	2305	32%
074	योजना मंत्रालय	1330	437	33%	181	14%
073	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	70101	22740	32%	1	0%
069	भारतीय प्रवासी मंत्रालय	78	21	27%	6	8%
015	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2075	559	27%	399	19%
081	सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	38280	9919	26%	8632	23%
035	राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र को अन्तरण	136895	35191	26%	33125	24%
093	कपड़ा मंत्रालय	5054	1225	24%	791	16%
100	लक्षद्वीप	894	215	24%	133	15%
010	कायला मंत्रालय	402	96	24%	63	16%
053	मंत्रीमण्डल	1030	243	24%	146	14%
056	संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	1489	349	23%	168	11%

टिप्पणी: ई लेखा पोर्टल से लिए गए डाटा (रक्षा, डाक तथा रेलवे से संबंधित अनुदान के अलावा)। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं है।

उन मंत्रालयों जहाँ वित्त वर्ष के अंतिम दिन को एक महत्वपूर्ण धन राशि खर्च की गयी थी, के संबंध में आगे एक विश्लेषण ने उदघाटित किया कि-

- कुल ₹43,370 करोड़ में से, ₹43,316 करोड़ की राशि, जो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मार्च 2012 के अंतिम दिन खर्च की गयी कुल राशि की 99.87 प्रतिशत, तीन विषय शीर्षों यथा अंतर खाता अंतरण (₹42,578 करोड़), पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों (₹551 करोड़) तथा सहायता अनुदान सामान्य (₹187 करोड़) पर खर्च की गयी थी।
- इसी प्रकार, कुल ₹14,044 करोड़ में से, ₹13,902 करोड़ राशि, आर्थिक मामले विभाग द्वारा मार्च 2012 के अंतिम दिन खर्च की गयी कुल राशि का 98.98 प्रतिशत तथा वि.व. 2011-12 के दौरान किये गये कुल व्यय की भी 66.75 प्रतिशत थी, तीन विषय शीर्षों निवेशों (₹13,095 करोड़), जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के पुर्नपूंजीकरण के लिए ₹12000 करोड़, नबार्ड के अंश पूंजीगत के अंशदान के रूप में ₹1000 तथा जी.बी.नि. के इक्विटी पूंजीगत के

रूप में ₹95 करोड़ शामिल थे। अंतर खाता अंतरण (₹625 करोड़) और आर्थिक सहायता (₹182 करोड़) जिसमें आवासीय ऋण पर एक प्रतिशत आर्थिक सहायता पर ₹127 करोड़ तथा किसानों को लघु अवधि जमा प्रदान करने हेतु ब्याज आर्थिक सहायता पर ₹55 करोड़ शामिल है) पर खर्च की गयी थी।

- इसी प्रकार, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ₹ 11,963 करोड़ में से मार्च 2012 के अंतिम दिन ₹ 10,754 करोड़ की राशि का व्यय किया गया जो कुल राशि का 89.89 प्रतिशत था, तीन विषय शीर्षों अर्थात् ऋणों एवं अग्रिमों (उधार लेने के नए प्रबंधन के अंतर्गत आई.एम.एफ. के ऋण के रूप में ₹ 7,270 करोड़), निवेश (₹ 2,468 करोड़) जिसमें अफ्रीकन विकास बैंक के लिए ₹ 2,445 करोड़ शामिल हैं), तथा आर्थिक सहायता (₹ 1,016 करोड़ लाभांश राहत के प्रति रेलवे को आर्थिक सहायता) के रूप में खर्च की गयी थी।

**विषय शीर्षवार सामयिक विश्लेषण:** संघ सरकार के लेखाओं के कोडिंग प्रतिमान के अनुसार एक उप-शीर्ष योजनाओं को प्रस्तुत करता है, विस्तृत शीर्ष उप-योजनाओं को प्रस्तुत करता है तथा विषय शीर्ष अंतिम शीर्षों (अर्थात् वेतन, दै.भ., म.कि.भ., पुरस्कार, उपदान आदि) को प्रस्तुत करता है जिन पर व्यय किया गया है। सिविल मंत्रालयों में विषय शीर्ष स्तर पर व्यय की जाँच ने प्रकट किया कि **तालिका 1.15** में निम्नलिखित मामलों में उल्लेखनीय व्यय घनत्व था:

**तालिका 1.15: मार्च 2012 में हुए विषय शीर्ष व्यय का विश्लेषण**

विषय शीर्ष	विषय शीर्ष का विवरण	कुल व्यय (₹ करोड़ में)	मार्च में व्यय (अनुपूरक लेखा सहित) (₹ करोड़ में)	मार्च में व्यय की प्रतिशतता (अनुपूरक लेखा सहित)	मार्च के अंतिम दिवस पर व्यय (₹ करोड़ में)	मार्च के अंतिम दिवस पर कुल व्यय की प्रतिशतता
64	बट्टे खाते/हानियाँ	2779	2689	97%	2689	97%
36	सहायता अनुदान वेतन	2049	1903	93%	1872	91%
63	अन्त लेखा अंतरण	90975	*66131	73%	*66239	73%
54	निवेश	35800	17734	50%	16815	47%
05	पुरस्कार	37	17	45%	4	11%
60	अन्य पूंजीगत व्यय	1789	739	41%	5	नगण्य
25	स्कंदन एवं खेमा	448	171	38%	36	8%
16	प्रकाशन	411	147	36%	48	12%
42	एकमुश्त प्रावधान	313	106	34%	45	14%
50	अन्य प्रभार	79445	24721	31%	875	1%
26	विज्ञापन एवं प्रचार	1558	486	31%	136	9%
53	मुख्य निर्माण कार्य	21266	6348	30%	4326	20%

\* मार्च माह के लिए व्यय आंकड़े माह के दौरान वसूलियों के संबंध में हुई प्रविष्टियों के कारण अंतिम दिन के व्यय आंकड़े बढ़ गए।


विषय शीर्ष	विषय शीर्ष का विवरण	कुल व्यय (₹ करोड़ में)	मार्च में व्यय (अनुपूरक लेखा सहित) (₹ करोड़ में)	मार्च में व्यय की प्रतिशतता (अनुपूरक लेखा सहित)	मार्च के अंतिम दिवस पर व्यय (₹ करोड़ में)	मार्च के अंतिम दिवस पर कुल व्यय की प्रतिशतता
20	अन्य प्रशासनिक व्यय	928	275	30%	17	2%

टिप्पणी: ई लेखा पोर्टल से लिए गए डाटा (रक्षा (अनु. 22 से 27), डाक (अनु.13) तथा रेलवे से संबंधित अनुदान के अलावा)। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं है।

सरकार को वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय को एक साथ करने के कारणों की जांच करनी चाहिए विशेष रूप से वर्ष के अंत में निवेश, अन्य पूंजीगत निवेश, विज्ञापन एवं प्रचार, प्रमुख निर्माण कार्य तथा अन्य प्रशासनिक व्ययों के मामले में।

## 1.5 ऋण एवं घाटे के सूचक

### बाक्स-1.3 भारत सरकार की राजकोषीय देयताएं



जहां बजट के संतुलन हेतु ऋण पर भरोसा करने से नहीं बचा जा सकता, संघ सरकार ने राजकोषीय सुधार तथा बजट प्रबंधन (रा.सु.प्र.ब.) अधिनियम, 2003 के माध्यम से उधारों पर विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की तथा राज्य सरकारों को राजकोषीय सुधार विधान के माध्यम से अपनी देयताओं पर सीमाएं निर्धारित करने हेतु प्रोत्साहित किया। रा.सु.ब.प्र. नियमावली निर्धारित

करती हैं कि केन्द्र सरकार वित्त वर्ष 2004-05 के लिए स.घ.उ. के 9 प्रतिशत की अधिकता में अतिरिक्त देयताओं (चालू विनिमय दर पर बाह्य ऋण को शामिल करते हुए) को ग्रहण नहीं करेगी और आने वाले प्रत्येक वित्त वर्ष में स.घ.उ. 9 प्रतिशत की सीमा को स.घ.उ. के कम से कम एक प्रतिशत को उत्तरोत्तर घटाया जाना था। **तालिका 1.16** दसवीं योजना औसत की तुलना में स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में कुल देयताओं में घटती हुई प्रवृत्ति को दर्शाती है। यह मुख्यतः हाल के वर्षों में स.घ.उ. की वृद्धि कुल देयताओं में वृद्धि से काफी अधिक रहने के कारण थी। तेरहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की कि संघ सरकार को 2014-15 तक अपने ऋण स्टॉक को स.घ.उ. के 44.8 प्रतिशत तक कम करना चाहिए।

तालिका 1.16: राजकोषीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

अवधि	संघ सरकार आन्तरिक ऋण	बाह्य ऋण ऐतिहासिक दरों पर	लोक लेखा*	कुल देयताएं (ऐतिहासिक दरों पर)	बाह्य ऋण (वर्तमान दरों पर)	कुल देयताएं (वर्तमान दरों पर)
X वीं योजना (2002-07) औसत	1274620 (38.42)	72715 (2.19)	368973 (11.12)	1716307 (51.74)	193395 (5.83)	1836987 (55.37)
XI वीं योजना (2007-12) औसत	2410855 (35.96)	139377 (2.08)	556326 (8.30)	3106559 (46.34)	265049 (3.95)	3232230 (48.22)
2007-08	1799651 (36.37)	112031 (2.26)	466602 (9.43)	2378284 (48.07)	210104 (4.25)	2476357 (50.05)
2008-09	2019841 (36.18)	123046 (2.20)	556235 (9.96)	2699122 (48.35)	264059 (4.73)	2840135 (50.87)
2009-10	2328339 (36.06)	134083 (2.08)	583279 (9.03)	3045701 (47.17)	249306 (3.86)	3160924 (48.95)
2010-11	2667115 (34.75)	157639 (2.05)	586458 (7.64)	3411212 (44.45)	278877 (3.63)	3532450 (46.03)
2011-12	3230622 (36.48)	170088 (1.92)	597765# (6.75)	3998475 (45.15)	322897 (3.65)	4151284 (46.88)

टिप्पणी: स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में कोष्ठको में दर्शाए गए आंकड़े

\* 1999-2000 से लोक लेखा देयताएं लघुबचतों के लेखे विशेष राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश के प्रसार तक लघु बचतों के कारण देयताओं को शामिल नहीं करती हैं।

# 31.03.2012 तक लोक लेखा देयताएं ₹ 11,16,542 करोड़ पर रहीं, जिसमें राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में ₹ 5,17,277 करोड़ का निवेश तथा 2007-08 सम भा.अ.वि.कं.लि. में ₹ 1,500 करोड़ का निवेश शामिल है।

31 मार्च 2012 को, आंतरिक ऋण ने कुल लोक ऋण का लगभग 95 प्रतिशत संघटित किया। वित्त वर्ष के दौरान, सरकार ने आंतरिक ऋण पर ब्याज के रूप में ₹ 2,42,569 करोड़ की राशि का भुगतान किया। आंतरिक ऋण पर अदा किये गये 78 प्रतिशत (₹ 1,89,416 करोड़) से अधिक के ब्याज वाले बाजार ऋण पर ब्याज, (विभिन्न दरों के) संगठित किए। 2011-12 के द्वारा भारत द्वारा अदा किए बाह्य ऋण (₹ 3,501 करोड़), के ब्याज पर किये गये भुगतान का लगभग 68 प्रतिशत (₹ 2382 करोड़) अंश अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ तथा जापान सरकार से कर्जे के प्रति था।

तालिका 1.17: ऋण प्राप्ति तथा ऋण पुनर्भुगतान


(₹ करोड़ में)

वर्ष	आंतरिक ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान	आंतरिक ऋण पर ब्याज का पुनर्भुगतान	बाह्य ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान	बाह्य ऋण पर ब्याज का पुनर्भुगतान	ऋण का कुल पुनर्भुगतान	कुल गैर-ऋण प्राप्तियां
2007-08	1596617	146800	7493	3927	1754837	698613
2008-09	2154553	164164	10007	4195	2332919	667922
2009-10	3074652	180504	11139	3629	3269924	741837
2010-11	2802999	201841	11774	3156	3019770	984785
2011-12	3482343	242569	13586	3501	3741999	965183

तालिका 1.17 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए सरकार के गैर-ऋण प्राप्तियों के समक्ष ऋण के पुनर्भुगतान (मूलधन तथा ब्याज) की मात्रा को दर्शाती है। 2007-08 के दौरान ऋण का पुनर्भुगतान गैर-ऋण प्राप्तियों का 251 प्रतिशत था और 2011-12 में 388 प्रतिशत तक बढ़ गया था। इसके अतिरिक्त, 2007-08 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रति ऋण का कुल पुनर्भुगतान 270 प्रतिशत तक था, जो 2011-12 में 411 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

### 1.5.1 राजस्व घाटा

बाक्स 1.4: घाटे के प्रकार



राजस्व घाटा राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति के बीच अंतर को प्रस्तुत करता है। राजस्व घाटा बिना तदनु रूप पूँजी/परिसंपत्ति के निर्माण के उधारों में वृद्धि के कारण बनता है। अतः राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए, लिए गए उधार का कोई भी परिसंपत्ति संबल नहीं होता तथा यह एक बेमेल परिसंपत्ति व देयता का सृजन करता है। इन कारणों से राजस्व घाटा साधारणतया कम

वांछनीय समझा जाता है। राजस्व घाटे में प्रवृत्तियां तथा उसके कुछ मुख्य पैरामीटर **तालिका 1.18** में दर्शाये गये हैं।

**तालिका 1.18: राजस्व घाटा तथा उसके पैरामीटर**

अवधि	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	राजस्व घाटा	प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा		
				स.घ.उ.	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय
<b>X वी योजना (2002-07) औसत</b>	<b>394426</b>	<b>500825</b>	<b>106399</b>	<b>3.21</b>	<b>26.98</b>	<b>21.24</b>
<b>XI वी योजना (2007-12) औसत</b>	<b>770152</b>	<b>1058775</b>	<b>288623</b>	<b>4.31</b>	<b>37.48</b>	<b>27.26</b>
2007-08	649426	734861	85435	1.73	13.16	11.63
2008-09	653847	1010224	356377	6.38	54.50	35.28
2009-10	704523	1057479	352956	5.47	50.10	33.38
2010-11	932686	1186115	253429	3.30	27.17	21.37
2011-12	910277	1305195	394918	4.46	43.38	30.26

**तालिका 1.18** दर्शाती है कि औसतन स.घ.उ. की संबंध में ग्यारहवीं योजना में 4.31 प्रतिशत का राजस्व घाटा दसवीं योजना के राजस्व घाटे (3.21 प्रतिशत) से काफी अधिक था। इसके अतिरिक्त, जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है 2010-11 में गिरावट दर्शाने के बाद 2011-12 में राजस्व घाटा बढ़ गया। वर्ष 2011-12 में राजस्व घाटे में अपकर्ष को राजस्व व्यय में 10.04 प्रतिशत की वृद्धि और राजस्व प्राप्ति में 2.40 प्रतिशत की कमी की वजह से कहा जा सकता है।

### 1.5.2 राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के उपर वास्तविक व्यय का आधिक्य है। यह सरकार के कुल उधारों तथा इसके बकाया ऋण के प्रति वृद्धि को भी इंगित करता है। यह सामान्यतः सरकार की निवल वर्धनीय देयताओं या राजस्व या व्यय के मध्य बजटीय अन्तर को पाटने के लिए इसके द्वारा लिए गए अतिरिक्त लोक ऋण का प्रतिनिधित्व करता है। कमी को अतिरिक्त लोक ऋण (आंतरिक अथवा बाह्य) या लोक लेखे से अतिरिक्त निधियों के प्रयोग द्वारा पूरा किया जा सकता है। मुख्य राजकोषीय पैरामीटरों के सापेक्ष घाटे की प्रवृत्ति के साथ साथ राजकोषीय घाटा प्रवृत्ति **तालिका 1.19** में इंगित की गई है।

तालिका 1.19: राजकोषीय घाटा तथा इसके पैरामीटर

अवधि	गैर ऋण प्राप्तियां	कुल व्यय (₹ करोड़ में)	राजकोषीय घाटा	प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा		
				स.घ.उ.	गैर-ऋण प्राप्तियां	वास्तविक व्यय
Xवीं योजना (2002-07) औसत	440415	573852	133437	4.02	30.30	23.25
XIवीं योजना (2007-12) औसत	811668	1198142	386474	5.77	47.61	32.26
2007-08	698613	863575	164962	3.33	23.61	19.10
2008-09	667922	1102366	434444	7.79	65.04	39.41
2009-10	741837	1174280	432443	6.70	58.29	36.83
2010-11	984785	1367427	382642	4.99	38.86	27.98
2011-12	965183	1483064	517881	5.85	53.66	34.92

राजस्व घाटे के मामले की तरह ही, ग्यारहवीं योजना औसत राजकोषीय घाटा में 5.77 प्रतिशत पर दसवीं योजना में जितना था उससे अधिक था। पिछले वर्ष की तुलना में राजकोषीय घाटे में चालू वर्ष में अपकर्ष देखा गया।

यदि राजकोषीय घाटे का अधिकांश भाग पूंजीगत व्यय को कायम रखने के लिए या पूंजीगत निर्माण हेतु इकाइयों के लिए वित्तीय सुविधायें प्रदान करने के लिए है, तो ऐसे घाटे को एक हद तक वांछनीय समझा जा सकता है। तालिका 1.20 ग्यारहवीं योजना अवधि के साथ-साथ दसवीं योजना अवधि में राजकोषीय घाटे के संघटकों की गति को दर्शाती है।

तालिका 1.20: राजकोषीय घाटे के संघटक

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व घाटा	निवल पूंजीगत व्यय	निवल कर्जे एवं पेशगियां
Xवीं योजना (2002-07) औसत	79.74	31.22	(-)10.96
XIवीं योजना (2007-12) औसत	74.68	24.35	0.97
2007-08	51.79	47.37	0.84
2008-09	82.03	17.72	0.25
2009-10	81.62	17.60	0.78
2010-11	66.23	30.79	2.98
2011-12	76.26	23.44	0.30

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है 2011-12 में निवल पूंजीगत व्यय ने 2010-11 से महत्वपूर्ण गिरावट दर्शाई।

निम्न तालिका 1.21 वर्ष 2011-12 में पूर्व वर्षों में बजटों के साथ रखे गए मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणों (म.अ.रा.नि.वि.) में मुख्य राजकोषीय पैरामीटरों - राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के लिए तय किए गए लक्ष्य प्रस्तुत करती है। वर्तमान वर्ष में राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा दोनों को बजट अनुमानों में निर्दिष्ट सीमा से बहुत ऊपर थे।


तालिका 1.21: रा.उ.ब.प्र. नियमावली के अन्तर्गत लक्ष्यों के समक्ष परिणाम (स.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में)

राजकोषीय संकेतक	म.अ.रा.नी.वि. 2009-10 में वर्ष 2011-12 हेतु निर्धारित लक्ष्य	म.अ.रा.नी.वि. 2010-11 में वर्ष 2011-12 हेतु निर्धारित लक्ष्य	म.अ.रा.नी.वि. में बजट अनुमान 2011-12	वास्तविक स्तर
राजस्व घाटा	1.5	3.4	3.4	4.46
राजकोषीय घाटा	4.0	4.8	4.6	5.85

### 1.5.3 वाह्य ऋण: अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता

31 मार्च 2012 को, अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता ₹1,48,182 करोड़ थी। चार्ट 1.20 विभिन्न स्रोतों से बाह्य सहायता का वर्ष-वार कुल अनाहारित शेष दर्शाता है। सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक के कार्यालय से क्षेत्रवार विवरण इंगित करता है कि शहरी विकास (₹30,786 करोड़), सड़कें (₹19,984 करोड़), जल संसाधनों (₹12,945 करोड़), विद्युत (₹14,365 करोड़), पर्यावरण तथा वनीय (₹12,078 करोड़) क्षेत्रों में बड़े अनाहारित शेष थे।

चार्ट 1.20: अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता



अनाहारित बाह्य सहायता पर वचनबद्धता प्रभार, बाद की तिथियों में आहरण हेतु पुनर्निर्धारित मूल राशि पर दिए जाते हैं। चूंकि वचनबद्धता प्रभारों के भुगतान को दर्शाने के लिए लेखाओं में कोई पृथक शीर्ष नहीं है, इसलिए इसे 'ब्याज देयता' शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। तालिका 1.22 ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान बाद की तिथियों में सहायता के आहरण के पुनर्निर्धारित करने के लिए विभिन्न निकायों/सरकारों को दिए गए प्रभारों को दर्शाती है। यह बिंदु निरन्तर अपर्याप्त योजना की ओर संकेत करते हैं जिसका परिणाम 2011-12 में ₹ 83.29 करोड़ के वचनबद्ध प्रभारों के रूप में परिहार्य व्यय में हुआ।

तालिका 1.22: वचनबद्ध प्रभार

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ए.वि.बैं.	जापान	जर्मनी	अ.पु.वि.बैं.	जोड़
2007-08	62.55	0.00	1.72	60.27	124.54
2008-09	62.62	0.00	4.17	50.58*	117.37
2009-10	53.26	0.00	5.57	27.28	86.11
2010-11	40.15	23.23	26.78	18.63	108.79
2011-12	42.30	20.82	6.24	13.92	83.29

स्रोत: नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा

ए.वि.बैं.=एशियाई विकास बैंक

अ.पु.वि.बैं.=अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक


\*अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण सहायता सम्मिलित है।

### 1.6 संघ सरकार की आकस्मिक देयताओं में वृद्धि

संविधान के अनुच्छेद 292 के अंतर्गत, संघ सरकार ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटियाँ दे सकती हैं, यदि कोई है, जो विधि से संसद द्वारा निर्धारित की गई है। यहाँ विवरणी (i) उधारों का पुनर्भुगतान तथा उस पर ब्याज का भुगतान, (ii) अंश पूंजी का पुनर्भुगतान तथा न्यूनतम लाभांश का भुगतान, (iii) क्रेडिट आधार पर सामग्रियों तथा उपकरणों के आपूर्तियों हेतु करार के प्रति भुगतान आदि के लिए संघ सरकार द्वारा सरकारी कम्पनियों/निगमों, रेलवे, संघ शासित क्षेत्रों, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, संयुक्त स्टाक कम्पनियों, सहकारी निगमों आदि की ओर से दी गई गारंटियों की 31 मार्च 2012 की स्थिति को दर्शाती है। यह गारंटियाँ भा.स.नि. पर आकस्मिक देयता स्थापित करती है। गारंटियों की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किया तथा 31 मार्च 2012 को बकाया कुल गारंटियाँ क्रमशः ₹2,03,056 करोड़ तथा ₹1,92,501 करोड़ थीं।

संघ सरकार की आकस्मिक देयताएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि सभी जोखिमों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। जहां गारंटियां परम्परागत रूप से मापे गए ऋण का भाग नहीं होती, चूक होने की स्थिति में, उसमें सरकार की ऋण स्थिति में तेजी लाने का सामर्थ्य होता है। अवसंरचना की बढ़ती हुई निवेश आवश्यकता, गारंटियों का मामला, इस प्रकार की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी और इसके आह्वान किए जाने की बढ़ती सम्भावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। तालिका 1.23 तथा चार्ट 1.21 ग्यारहवीं योजना के वित्तीय वर्ष के अन्त तक गारंटियों की अधिकतम राशि, बकाया गारंटीकृत राशियां तथा बकाया बाह्य राशियों से संबंधित स्थिति को दर्शाती है।

चार्ट 1.21 संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ



तालिका 1.23 संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गारन्टी की अधिकतम राशि	बकाया गारन्टीकृत राशि	बकाया बाह्य गारंटियाँ	कुल बकाया गारंटियों के प्रतिशत के रूप में बकाया बाह्य गारंटियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007-08	114001	104872	46459	44.30
2008-09	117659	113335	59343	52.36
2009-10	150437	137205	72408	52.76
2010-11	160611	151292	89053	58.86
2011-12	203056	192501	114387	59.42

गारंटियाँ सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से उधार लेने अथवा सा.क्षे.उ. को बाजार से मुद्रा उधार लेने हेतु योग्य बनाने हेतु दी जाती है। 2011-12 में, 31 मार्च 2012 तक बकाया गारन्टीकृत राशि (₹ 1,92,501 करोड़) 59 प्रतिशत विदेशी कर्जदाता संस्थाओं को गई, 35 प्रतिशत आर.बी.आई/बैंकों/औद्योगिक वित्त निगमों आदि को मूल एवं ब्याज के पुनर्भुगतान, नगद क्रेडिट सुविधा आदि के लिए तथा शेष छः प्रतिशत शेयर पूंजी के पुनर्भुगतान के लिए, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान हेतु तथा बंधपत्रों, उधारों एवं डिबेंचर/काउण्टर गारण्टी आदि के लिए प्रयुक्त हुई। वित्त मंत्रालय द्वारा मुख्य मंत्रालयों जिनको गारण्टी प्रदान की गई उनमें से मुख्य थे उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय/विभाग, आर्थिक कार्य, नागरिक उड्डयन, ऊर्जा एवं स्टील। मंत्रालयों द्वारा अद्यतन गारण्टी रजिस्ट्रों का अनुरक्षण सरकार के जोखिम की प्रमात्रा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

रा.उ.ब.प्र. नियमावली 2004 नियम 3(3) में अनुबंधित करता है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ किसी भी वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार को 0.5 प्रतिशत स.घ.उ. की राशि से अधिक गारण्टी नहीं देनी चाहिए, यह प्रतिशतता गारंटियों के निवल संचयन के आधार पर निकाली गयी है। वर्ष 2011-12 में, दी गई गारंटी ₹ 40,219 करोड़ की थी जो स.घ.उ. का 0.45 प्रतिशत थी। किसी वित्तीय वर्ष के अन्त में वह गारण्टी जो बकाया है उसे आगामी वर्षों में आगे लाया जाएगा ताकि उसे कभी भी भुनाया जा सकता है। किसी विशेष वर्ष में गारण्टी भुनाए जाने की संभाव्यता के जोखिम अनुमान इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम किसी विशेष वर्ष में गारण्टी राशि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करते हैं।

2011-12 में, कुल बकाया गारंटियाँ (₹ 1,92,501 करोड़), स.घ.उ. का 2.17 प्रतिशत तथा 2011-12 में संघ सरकार को प्रोद्भूत राजस्व प्राप्तियाँ का 21.15 प्रतिशत थीं।